

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

Tel.No. : 01373-223730

E-Mail : cepmgsypurola@rediffmail.com

पत्रांक- 732 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०

अपर यमुना वन विभाग (बड़कोट)

दिनांक 14 / 08 / 2024

पंजी संख्या ..... 734 .....

पत्रावली संख्या .. 12-1 .....

प्रकरण संख्या .....

दिनांक ..... 16/8/2024 .....

सेवामें

प्रभागीय वनाधिकारी  
अपर यमुना वन प्रभाग  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित भातों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/86/2018/एफ०सी०/671, दिनांक 25/06/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय द्वारा 04 प्रतियों में मूल प्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है-

अनुपालन आख्या

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.692 हे० बचाणगांव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) जमा कर दी गई है। उक्त भूमि वन विभाग के सवामित्व से बाहर है अतः इसे वनभूमि के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।	उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उत्तरखण्ड शासन वन उत्तरखण्ड शासन वन अनुभाग-3 के पत्रांक सं० 1016/X_3_24/1(132)/2018 दिनांक 12.08.2024 द्वारा चयनित भूमि 2.269 हे० को संरक्षित वन घोषित किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं०.....1-2 की छायाप्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 3-5 की छायाप्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाय।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 06 की छायाप्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गई सभी निधियां को वेब पोर्टल पर ऑन-लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित बैंक में जमा किया जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 3-5 की छायाप्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 07 की छायाप्रति संलग्न है।
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 08 की छायाप्रति संलग्न है।

	एन०पी०वी० का प्रयोग बड़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिये बाध्य होगा।	
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 10 की छायाप्रति संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये ररोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 11 की छायाप्रति संलग्न है।
10	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाय।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 12 की छायाप्रति संलग्न है।
11	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 13 की छायाप्रति संलग्न है।
12	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 14 की छायाप्रति संलग्न है।
13	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 15 की छायाप्रति संलग्न है।
14	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, जो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 16 की छायाप्रति संलग्न है।
15	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का सतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 17 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में।



14.08.24  
अधिसासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०  
पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित-

मान्यवर  
शु. शा. म. से.  
  
J. K. S.  
14/08/24

अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०  
पुरोला उत्तरकाशी

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**  
**पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)**  
**Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purula (Uttarakashi)**  
E-Mail : eepmgsypurula@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 1077/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०  
सेवाओं

दिनांक 23/11/2024

प्रभाषीय वगाधिकारी  
आपर यमुना वन प्रभाग  
बडकोट (उत्तरकाशी)

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विभाग खण्ड नीगांव में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी-नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से नंगाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 हे० वनभूमि का गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित गार्ता के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक सं० 1538/12-1 दिनांक बडकोट 31 जनवरी 2024 द्वारा उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुए 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त नियमानुसार एन०पी०वी० एवं वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त धनराशि रू० 468690.00 (चार लाख अठसठ हजार छः सौ नब्बे) जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था एवं पुनः पत्रांक सं० 650/12-1 दिनांक बडकोट 24 अगस्त 2024 के अनुपालन में यू०आर०आर०डी०ए० द्वारा 468690.00 (चार लाख अठसठ हजार छः सौ नब्बे) का भुगतान कर दिया गया है। (अभिलेख संलग्न है)

अतः आपसे अनुरोध है कि इस खण्ड के पत्रांक सं० 732/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक 14.08.2024 द्वारा प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०  
पुरोला उत्तरकाशी

**AGENCY COPY**

**NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 27-09-2024

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123290967
State Code.	UK
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi)Uttarkashi
Amount(In Rs)	468600/-

Amount In Words :Four Lakh Sixty Eight Thousand Six Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6123290967
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**

**NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 27-09-2024

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6123290967
State Code.	UK
Address:	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (Uttarkashi) Uttarkashi
Amount(In Rs)	468600/-

Amount In Words :Four Lakh Sixty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6123290967
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [ubicampa@unionbankofindia.com](mailto:ubicampa@unionbankofindia.com)





# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

Tel.No. : 01373-223730

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

दिनांक 30/08/2025

पत्रांक- 776/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी बंदाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंदाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित भातों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/86/2018/एफ०सी०/671, दिनांक 25/06/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग के पत्रांक 1583/12-1 दिनांक 18.11.2024 मय अभिलेखों वन संरक्षक यमुनावृत देहरादून को एवं वन संरक्षक यमुनावृत देहरादून के पत्रांक 969/12-1 देहरादून दिनांक 23.12.2024 द्वारा अनुपालन आख्या मूल में मय संलग्नक संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या पुनः ऑनलाईन अपलोड कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०  
पुरोला उत्तरकाशी

# प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्प लाईन नं० 18008909715

पत्रांक- 1583/ 12-1 बड़कोट, दिनांक 28 नवम्बर / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राग सड़क योजना के अंतर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/86/2018/एफ०सी०/671, दिनांक 25.06.2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-732/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, दिनांक 14.08.2024 एवं पत्रांक-1049/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, दिनांक 23.11.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.692 हे० बचाणगांव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) जमा कर दी गई है। उक्त भूमि वन विभाग के सवामित्वसेबाहर है। अतः इसे वन भूमि के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा।	उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उत्तरखण्ड शासन वन उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 के पत्रांक सं० 1016/X_3_24/1(132)/2018 दिनांक 12.08.2024 द्वारा चयनित भूमि 2.269 हे० को संरक्षित वन घोषित किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 1-2 की छाया प्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 3-5 की छाया प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 06 की छाया प्रति संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां को बैंक पोर्टल पर ऑन-लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित बैंक में जमा किया जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 3-5 की छाया प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 07 की छाया प्रति संलग्न है।
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 08 की छाया प्रति संलग्न है।
7	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिये बाध्य होगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 09 की छाया प्रति संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं० 10 की छाया प्रति संलग्न है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचे।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 11 की छाया प्रति संलग्न है।
10	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाय।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 12 की छाया प्रति संलग्न है।
11	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 13 की छाया प्रति संलग्न है।
12	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 से अधिक न हो।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 14 की छाया प्रति संलग्न है।
13	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 15 की छाया प्रति संलग्न है।
14	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, जो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 16 की छाया प्रति संलग्न है।
15	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र सं0 17 की छाया प्रति संलग्न है।

अतः विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में दिये गये शर्तों की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या 02 प्रतियों में।

भवदीय



( रविन्द्र पुण्डीर )

प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला, उत्तरकाशी।



( रविन्द्र पुण्डीर )

प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स-0135-2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक- 969 /12-1 देहरादून, दिनांक, 27 दिसम्बर, 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/86/2018/एफ०सी०/671 दिनांक 25.06.2019।

महोदय,

विषयगत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र से निर्गत की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट द्वारा पत्रांक 1583/12-1 दिनांक 28-11-2024 से मय अभिलेखों के इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। अनुपालन आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त अनुपालन आख्या मूल में मय संलग्नक संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

अपर यमुना वन विभाग (बडकोट)  
पंजी संख्या 2705  
पत्रावली संख्या 12-1  
प्रकरण संख्या  
दिनांक 08/01/25

भवदीया

(कहकशां नसीम, भा०य०से०)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 969 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट को उनके पत्रांक 1583/12-1 दिनांक 28-11-2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम, भा०य०से०)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन  
वन अनुभाग-3  
संख्या- 10/6 /X-3-24/1(132)/2018  
देहरादून: दिनांक: 12 अगस्त, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 94 खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 1.346 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 2.692 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा		चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
				संख्या	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	बचाणगांव	19	1133	0.940	0.940	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
				2320	0.862	0.862	
				1313	0.826	0.826	
				1365 म०	0.064	0.064	
योग:-						2.692	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°14' 12.987" E	30°54' 9.563" N
2	78°14' 9.904" E	30°54' 9.853" N
3	78°14' 7.9333" E	30°54' 10.013" N
4	78°14' 5.228" E	30°54' 10.513" N
5	78°14' 2.988" E	30°54' 9.162" N
6	78°14' 3.136" E	30°54' 7.774" N
7	78°14' 2.607" E	30°54' 6.772" N
8	78°14' 3.761" E	30°54' 6.157" N
9	78°14' 5.327" E	30°54' 5.955" N
10	78°14' 7.593" E	30°54' 7.020" N

अपर यमुना वन विभाग (बड़कोट)  
पंजी संख्या ..... 843 .....  
पत्रावली संख्या ..... 3-24 .....  
प्रकरण संख्या .....  
दिनांक ..... 24/08/2024



In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 1016/X-3/24 Dehradun, dated 12 August 2024 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Forest Section- 03**  
**File No. 1016 /X-3-24/1(132)/2018**  
**Dehradun Date- 12 August, 2024**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 2.692 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Uttarkashi to the forest department for compensatory plantation against the 1.346 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of NH. 94 Kharadi Nagangon Motor Road KM. 9.00 to Banchangon Motor Road in District Uttarkashi, whose area and boundary details are given in the table below.

**Table**

Sr. No.	District	Village	Khata Number	Khasara		Total area C.A acquired (in Hectares)	Category of Land
				Number	Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Uttarkashi	Banchangon.	19	1133	0.940	0.940	Uttarakhand Government Category- 9(3)d
				2320	0.862	0.862	
				1313	0.826	0.826	
				1365M	0.064	0.064	
<b>Total :-</b>						<b>2.692</b>	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

**Part- 2 Boundary details**

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°14' 12.987" E	30°54' 9.563" N
2	78°14' 9.904" E	30°54' 9.853" N
3	78°14' 7.9333" E	30°54' 10.013" N
4	78°14' 5.228" E	30°54' 10.513" N
5	78°14' 2.988" E	30°54' 9.162" N
6	78°14' 3.136" E	30°54' 7.774" N
7	78°14' 2.607" E	30°54' 6.772" N
8	78°14' 3.761" E	30°54' 6.157" N
9	78°14' 5.327" E	30°54' 5.955" N
10	78°14' 7.593" E	30°54' 7.020" N
11	78°14' 9.686" E	30°54' 6.591" N

2191/2024

12	78°14' 12.138" E	30°54' 5.890" N
13	78°14' 13.530" E	30°54' 7.150" N
14	78°14' 13.409" E	30°54' 8.259" N

Signed by **Kahkashan**  
**Naseem**(Kahkashan Naseem)  
Date: 09-08-2024 18:29:57  
Deputy Secretary

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Principal Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun. Commissioner, Garhwal Zone, Uttarakhand.
5. Conservator of Forests, Yamuna Circle, Uttarakhand, Dehradun.
6. District Magistrate, Uttarkashi.
7. Divisional forest Officer, Upper Yamuna Forest Division, Barkot.
8. Sub-District Magistrate, Barkot.
9. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
10. N.I.C. Secretariate Campus.
11. Guard File.

Signed by **Satya Prakash**  
**Singh**  
Date: 12-08-2024 10:22:16

By Order  
(Satya Prakash Singh)  
Deputy Secretary.

:: आदेश ::

5

अधिशामी अभियन्ता, पीएमजीएमवाई,मिचाई खण्ड,पुरोला ने अपने पत्र संख्या:890/पीएमजी एसवाई/सि0ख0 दिनांक दिनांक 26.06.2023 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 में खण्डी बचाणगाँव मोटर मार्ग कि०मी० 9.00 से बचाणगाँव मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल 2.692 मिथिल भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार,बड़कोट ने अपने पत्र संख्या: 105/सोका० विविध/2023-24 दिनांक 22 दिसम्बर,2023 जो उप जिलाधिकारी,बड़कोट द्वारा प्रेषित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी मिथिल भूमि कार्यालय पत्र संख्या:2692/11-19(2015-16) दिनांक 15.03.2016 के द्वारा ग्राम बचाणगाँव में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड के खाता संख्या: 19 मध्ये दर्ज खसरा संख्या: 1133/0.940, 1229/0.439, 1313/0.826, 1365म./0.202, 2320/0.862, 2318/0.559,2349/0.518, कुल रक्वा 4.346हे० भूमि पूर्व में ही वन विभाग के नाम स्वीकृत की गई थी किन्तु अधिशामी अभियन्ता,पीएमजीएसवाई, पुरोला ने अपने पत्र दिनांक 26.06. 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में ग्राम बचाणगाँव के ग्रामीणों द्वारा सम्प्रेषण पर आपत्ति की जाने से उक्त मोटर मार्ग के सम्प्रेषण को ग्रामीणों की सहमति के आधार पर पुनः तैयार किया गया, जिस कारण मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल 1.364हे० प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि 2.692हे० की आवश्यकता हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा पूर्व में हस्तान्तरित भूमि के शेष भाग को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बड़कोट से प्राप्त प्रस्ताव/जांच आख्यानुसार के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या: 2692/ग्यारह-19(2015-16) दिनांक 15.03.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि ग्राम बचाणगाँव मध्ये उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के खाता संख्या: 19 मध्ये खसरा संख्या:1133/0.940,1229/0.439, 1313/0.826, 1365म./0.202, 2320/0.862 कुल रक्वा 2.692हे० भूमि को राजस्व अभिलेखों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट(वन विभाग)के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के आदेश एवं खसरा संख्या: 2318 रक्वा 0.559हे०, खसरा संख्या: 2349 रक्वा 0.518हे. का कुल रक्वा 1.077हे० भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के नाम से खारिज कर उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के नाम पूर्व की भान्ति यथावत अंकित करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

दिनांक 09 जनवरी,2024

ह०/-अभिषेक रूहेला,  
जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2589/ग्यारह-विविध

(2023-24)

दिनांक 10 जनवरी,2024

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- तहसीलदार/उप जिलाधिकारी,बड़कोट।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी,अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
- 3- अधिशामी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई,मिचाई खण्ड,पुरोला

अपर जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

अपर यमुना वन विभाग (बड़कोट)

पंजी संख्या 2261

पत्रावली संख्या 12-1

प्रकरण संख्या

दिनांक 16/01/2024

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
1	FP/UK/ROAD/23290/2016	ROAD232902016967	6123290967	NH 94 KHARADI NAGADGAON KM 9.00 TO BACHAN GAON UNDER PMGSY	Road	1.346	PMGSYID PUROLA	25-6-2019	26-9-2024	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
2	FP/UK/ROAD/11496/2015	ROAD114962015920	6111496920	Nagan Gaon to Kursil Motor Road	Road	1.129	PMGSYID PUROLA	04-3-2016	10-2-2023	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
3	FP/UK/ROAD/123853/2021	ROAD1238532021653	61123853653	Construction of Naitwar to Haiwari motor road	Road	3.0968	PMGSYID PUROLA	06-7-2022	17-8-2022	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
4	FP/UK/ROAD/123523/2021	ROAD1235232021050	61123523050	Construction of Hadwar to sewa motor road	Road	6.037	PMGSYID PUROLA	05-5-2022	19-5-2022	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
5	FP/UK/ROAD/123820/2021	ROAD1238202021215	61123820215	Construction of Pawn to Sirga Motor Road	Road	2.485	PMGSYID PUROLA	17-3-2022	12-4-2022	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
6	FP/UK/ROAD/123812/2021	ROAD1238122021061	61123812061	Construction of Naitwar to Nuranu motor road	Road	3.062	PMGSYID PUROLA	21-12-2021	08-2-2022	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
7	FP/UK/ROAD/29640/2017	ROAD296402017572	6129640572	Construction of Banas to Durbil Motor Road.	Road	2.16	PMGSYID PUROLA	21-10-2020	20-11-2020	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
8	FP/UK/ROAD/43650/2019	ROAD436502019664	6143650664	Construction of Saur to Osala motor road	Road	22.2165	PMGSYID PUROLA	30-9-2020	28-10-2020	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
9	FP/UK/ROAD/41387/2019	ROAD413872019505	6141387505	RAMA TO SYALUKA	Road	4.536	PMGSYID PUROLA	24-7-2020	10-8-2020	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
10	FP/UK/ROAD/34189/2018	ROAD341892018621	6134189621	Construction of Odada to Saras Motor Road in Block Mori, District Uttarkashi, Under PMGSY.	Road	3.8385	PMGSYID PUROLA	31-1-2020	18-2-2020	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
11	FP/UK/ROAD/33852/2018	ROAD338522018079	6133852079	Mori to Salra Motor Road Under PMGSY	Road	10.787	PMGSYID PUROLA	01-11-2019	13-11-2019	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
12	FP/UK/ROAD/23445/2017	ROAD234452017993	6123445993	Construction of Naugaon Purola MR Km 2 To Thali Gaon	Road	11.6735	PMGSYID PUROLA	29-4-2019	02-9-2019	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
13	FP/UK/ROAD/31650/2018	ROAD316502018207	6131650207	Construction of Ramachatti to Nisril Motor Road	Road	1.935	PMGSYID PUROLA	13-6-2019	20-8-2019	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
14	FP/UK/ROAD/23290/2016	ROAD232902016518	6123290518	NH 94 KHARADI NAGADGAON KM 9.00 TO BACHAN GAON UNDER PMGSY	Road	1.346	PMGSYID PUROLA	25-6-2019	20-8-2019	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid
15	FP/UK/ROAD/11303/2015	ROAD113032015835	6111303835	semalsari to gair	Road	4.165	PMGSYID PUROLA	25-9-2018	31-1-2019	✓ Paid	✓ Paid	✓ Paid

12



BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



INDIA

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



MY GOV

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



Meity



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



Meity

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



INDIA

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

Open Government Data (ODD) Platform India

7

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग में अध्याप्त की गई भूमि की विधिक परिस्थिति किसी भी दशा में बदली नहीं जायेगी।

Assistant Engineer  
सहायक अभियन्ता  
PMGSY (LD), Purola  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
(Uttarkashi)  
पुरोला (उत्तरकाशी)

Executive Engineer  
अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY (LD)  
Purola, Uttarkashi  
पुरोला (उत्तरकाशी)

9

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशायी अभियन्ता  
Executive Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

9

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के प्रकरण में एन०पी०वी० की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया जायेगा।

25

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिसासी अभियन्ता  
Executive Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

10

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग में मार्ग के निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

16

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग परियोजना निर्माण करने से पूर्व प्रस्तावित वनभूमि का चार फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Purola, Uttarkashi

12

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग में मार्ग के निर्माण के दौरान कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY, P.D., Purola,  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Purola, Uttarkashi

अधिसासी अभियन्ता  
In-charge Officer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
Purola (उत्तरकाशी)  
Purola, Uttarkashi

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग में मार्ग के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जायेगी।



सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY, I.D., P  
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
Executive Engineer  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
PMGSY (I.D.)  
Purola, Uttarkashi



(14)

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग परियोजना निर्माण में वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वनभूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY (I.D.), Purola  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Purola, Uttarkashi

अधिशारी अभियन्ता  
Executive Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
Purola (उत्तरकाशी)  
PMGSY (I.D.)  
Purola, Uttarkashi

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग में मार्ग के निर्माण में कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 से अधिक नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY, I.D., Puroia,  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY (I.D.)  
Puroia, Uttarkashi

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाइ, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाइ, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग परियोजना निर्माण में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अमिधनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, जो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।



सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Purola, Uttarkashi

कार्य का नाम :- खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग परियोजना निर्माण में ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं० बन्धु जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने में एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता  
Assistant Engineer  
पी०एस०जी०एस०वाई, सि०ख०  
PMGSY, I.D., Puroila,  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Puroila, Uttarkashi

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एस०जी०एस०वाई, सि०ख०  
In-charge Officer  
पुरोला (उत्तरकाशी)  
Puroila, Uttarkashi